रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266420
CG-DL-E-25092025-266420

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4240] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947
No. 4240] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

का.आ. 4359(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 18 के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. एम.के. रमेश को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पूर्वत्तर हो, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3261 (अ), तारीख 24 सितंबर, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के पैरा (4) की सारणी में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	सदस्य का नाम	सदस्यता का स्तर
(1)	(2)	(3)
धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन (अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य)		
"(1)	डॉ. एम.के. रमेश, पूर्व अध्यक्ष, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड और पूर्व कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक।	अध्यक्ष ।"।

[फा. सं. वी.11013/01/2019एमईपी/एमई-1]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या का.आ. 3261(अ), तारीख 24 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. संख्या 2008(अ), तारीख 24 मई, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

S.O. 4359(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 read with section 18 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby appoints Dr. M K Ramesh as President of the Medical Assessment and Rating Board for a period of four years from the date of assumption of charge or till attaining the age of seventy years or until further orders, whichever is earlier and for the said purpose, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, S.O. 3261 (E), dated 24th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in paragraph 4, in the table, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

Serial number	Name of Member	Status of membership
(1)	(2)	(3)
Under sub-section (2) of section 17 (President and one whole time Member)		
"1.	Dr. M K Ramesh, Former President, Post- Graduate Medical Education Board and Former Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka.	President".

[F. No. V.11013/01/2019MEP/ME-I]

VINOD KOTWAL, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 3261(E), dated 21st September, 2020 and last amended, *vide* number S.O 2008(E), dated the 24 May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.25 22:26:34 +05'30'